

**आग्नेयशस्त्र की अनुज्ञासि की स्वीकृति करने के संबंध में थाना प्रभारी द्वारा किये गये जाँच प्रतिवेदन  
एवं उनकी अनुशंसा का प्रपत्र**

1. (क) आवेदक का नाम -----  
(ख) पिता का नाम -----  
(ग) उम्र -----  
(घ) स्थायी पता -----  
(ड) वर्तमान पता -----
2. आवेदक का पेशा (अंकित करें पूर्ण विवरण के साथ) -----
3. आवेदक एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कहाँ-कहाँ रहे हैं (पूर्ण पते एवं अवधि के साथ) -----
4. आवेदक का स्वभाव (गर्भ मिजाज के हैं/या नहीं) -----
5. आवेदक का नक्सलपंथियों/उग्रवादी संगठन से सम्पर्क है या नहीं -----
6. आवेदक किसी अन्य अपराध में अभियुक्त है या नहीं -----
7. (अ) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/109/111 एवं 113 के अंतर्गत आवेदक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है या नहीं -----  
(ब) कोई अन्य मामलों जिसमें आवेदक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो -----
8. सम्बर्ग संघर्ष एवं व्यक्तिगत तनाव की पृष्ठ भूमि में आवेदक किसी हिंसात्मक घटना से संबंधित नहीं है -----
9. आवेदक का सभी श्रौतों से वार्षिक आय (अंधतन आयकर रिटन के साथ) -----
10. आवेदक के शारीरिक स्थिति (आवेदक विकलांग है या नहीं) -----
11. आवेदक को अनुज्ञासि देने से लोक शांति एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं -----
12. आवेदक को क्या विशेष सुरक्षा भय है जिसके कारण इन्हें शस्त्र की अनुज्ञासि चाहिए -  
(क) क्या उग्रवादियों के हिट लिस्ट में हैं :-  
(ख) क्या फण्डामेंटल लिस्ट संगठन में हिट लिस्ट में हैं :-  
(ग) क्या कुख्यात अपराधी के हिट लिस्ट में हैं :-  
(घ) क्या इनके साथ कभी कोई अपराधी घटना घटी है  
(अगर हाँ तो पूर्ण विवरणी दें)
13. शस्त्र जिसकी अनुज्ञासि के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है -----
14. क्या आवेदक के नाम से पूर्व से किसी शस्त्र की अनुज्ञासि निर्गत है -----
15. क्या आवेदक के परिवार में पूर्व से शस्त्र अनुज्ञासि धारित है -----
16. आवेदक द्वारा धारित पूर्व शस्त्र की अनुज्ञासि रद्द की गयी है -----  
कोई अन्य कारण -----
17. थाना प्रभारी की अनुशंसा-

मैं, अधोहस्ताक्षरी से संतुष्ट हूँ / संतुष्ट नहीं हूँ कि आवेदक के पास से शस्त्र की अनुज्ञासि धारित करने के लिए यथीष कारण (-) है। आवेदक को एक मान्य एन० पी० बोर की अनुज्ञासि निर्गत की जा सकती है/नहीं की जा सकती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुज्ञासि प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा शस्त्र को दूरपयोग करने की संभावना नहीं है।

थाना प्रभारी का नाम एवं हस्ताक्षर  
मुहर के साथ